राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांकः–4(23) वित्त/राजस्व/1994 जयपुर दिनांक 22/7/25

–:आज्ञा:–

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 50 के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु 3 माह के नोटिस अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुए श्री राजेश कुमार शर्मा, सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर को उनके द्वारा दिनांक 25.05.2025 में स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में **दिनांक 18.08.2025 को मध्यान्ह पश्चात् से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति** प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त श्री राजेश कुमार शर्मा, सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर के विरूद्ध आज तकः–

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह भी आदेशित किया जाता है कि राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में दो माह की अवधि के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

उक्त सेवानिवृति बारकोड संख्या 322500258 दिनांक 15.07.2025 के द्वारा सक्षम स्तर से प्राप्त सहमति के अनुसरण में दी जाती है।

आज्ञा से

(धनलाल शेरावत) 22/7/25
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांकएफ.2654/अधि/संस्था/बीमा/2025–03634–7642321–पार्ट फाईल(1)–7699573/3246दिनांक 03.07.2025 के क्रम में।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्बन्धित अधिकारी
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

22/7/25
संयुक्त शासन सचिव